



०४५९।।

दृष्टिकोण 2288709
2280710

नव घेताल केन्द्र, 10 अशोक नार्स, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : १७५०८०/०५/७६/एक/२०१५-१६
संदेश में,

दिनांक : ०७/८/२०१५

जिला विकासी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (दुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्थीरूप परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार घनराशि अपमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
पंजाब ऐंशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	52.564
(घनराशि लाख रु० में)			

क्रम सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	हितोदय की घनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०४० केसरी	मो० चमरान वार्ड नं० १ में जयराम ट्यूबवेल से मुरारी लाल तथा राम भरेसे के घर से शब्दर घोसी के घर तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	9.578
2	रामपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०४० केसरी	मो० सिंधियान में किशन लाल के घर (होनी चौराहा) से रामपुर रोड तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली का निर्माण।	15.031
3	रामपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०४० शाहबाद	मो० फर्रशान वार्ड नं० १३ में रिफाकत भाई के कोल्हू के आसपास विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.597
4	रामपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०४० शाहबाद	मो० कानूनगयान में बिलाल मस्जिद से लल्ला आटो सेन्टर (पानी की टंकी) तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली का निर्माण।	12.910
5	रामपुर	अल्पसंख्यक-३७ बजट	न०४० शाहबाद	मो० कानूनगयान में हनीफ के घर से सलीम इद्रीश के घर तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली मिर्नें का कार्य।	2.158
	यांग				56.274



१०५७९८

प्रभाग २१
२०१८

कर घटना केन्द्र १० अशोक नगर, लखनऊ-२२६००१

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

न०पा०प० शाहबाद-म०० फर्रशान वार्ड नं० १३ में वसीम मेडिकल स्टोर से मुना भाई तथा रोहन की गती में इण्टरलाकिंग पेवर ब्लॉक सढ़क एवं नाली निर्माण का कार्य हेतु अभिकरण द्वारा अदमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि रु० ३.७१ लाख, प्रश्नगत कार्य अन्य विभाग द्वारा कराये जाने की सूचना अभिकरण को प्राप्त होने के फलस्वरूप उक्त धनराशि रु० ५६.२७४ लाख में से रु० ३.७१ लाख जो राजकोष में जमा करायी जानी है को रोकते हुये शेष धनराशि रु० ५२.५६४ लाख अदमुक्त की जा रही है।	(-) ३.७१ ५२.५६४
--	-------------------------------

उपरोक्त अदमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंचयक वाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में रु०१०८०० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

- १— उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंचयक वाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में सी०१०० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत ढी०१०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- २— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- ३— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सकाम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- ४— अदमुक्त की या रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न हो यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित है जिससे कि शास्तकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- ५— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय निधि/नियन्त्र एवं पर्यावरणीय वायुता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापूर्त अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- ६— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- ७— परिस्मृतियों के सुजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाय में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिस्मृतियों के सुजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- ८— योजनान्तर्गत अदमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध जरायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अदमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- ९— उक्त धनराशि दुजा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार निहित भद्र में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कराया जायेगा ताकि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- १०— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्णों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

W



२५१३

दूसरा— 2286709

2296710

नव लोकनगर, 10 अखोक मार्ग, लखनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभियन्ता, उ.प्र.

11— अवमुक्त की जा रही घनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा, शारान द्वारा अवमुक्त की गई घनराशि के कग में घनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/घनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभियन्ता मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की रिप्टिंग में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष हितीय किश्त की घनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्ट्रेज की घनराशि को रोककर रोब घनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त घनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपरोक्ता प्रभाव पत्र व्यय की गई घनराशि के सापेक्ष नीतिक प्रश्न सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियन्ता को शीघ्र उपलब्ध कराने का जट करें।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

प्रांक एवं दिनांक तादेश

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियन्ता, सम्बन्धित जनपद।
- अधिकारी अभियन्ता—सूडा
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक